

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

झाबुआ संयंत्र से संबद्ध विपणन मार्ग पर  
साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु  
परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु अल्पकालीन  
ई-निविदा वर्ष 2021



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, Fax No. 0731-2811559

Email - sanchi13a@gmail.com

# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता  
नियुक्ति हेतु अल्पकालीन ई-निविदा की समय-सारणी

1	ई-निविदा ऑन-लाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2021 दोपहर 1.00 बजे तक
2	ई-निविदा ऑन-लाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 30.06.2021 दोपहर 1.00 बजे तक
3	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.07.2021 दोपहर 02.00 बजे
4	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500/- (रु. पाँच सो मात्र)
5	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा में जाने वाली ई.एम.डी. राशि	रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र)
6	परिवहनकर्ता कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएँ" का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें।	प्रपत्र 01 एवं 02
7	परिवहनकर्ता हेतु मार्ग की जानकारी	प्रपत्र 03
8	परिवहनकर्ता परिचय एवं संक्षिप्त विवरण फार्म	प्रपत्र 04
9	फाइनैसियल बिड	प्रपत्र 05

ई-निविदा फार्म भरते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- धरोहर राशि (EMD) केवल आनलाईन ही जमा की जावे।
- परिवहनकर्ता द्वारा ई-निविदा में आवश्यक दस्तावेजों को केवल ऑनलाईन ही अपलोड किए जावें।
- उपरोक्त तिथियों में यदि शासकीय अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में ई-निविदा खोली जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर ।

महोदय,

सॉची दूध एंव दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक 23.6.2021 को इन्दौर से प्रकाशित पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा दर स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मेरे द्वारा ई.एम.डी. राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) ऑन लाईन जमा कर दिए गए है।

**तकनीकी अर्हताएँ**

क्र०	आवश्यक अर्हता	विवरण
1	परिवहनकर्ता/ट्रांसपोर्टर का नाम,परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (संस्था/फर्म आदि का पंजीयन का प्रमाण)	समस्त चाहे गए दस्तावेजों को ऑन लाईन प्रस्तुत करें।
2	यदि कोई पार्टनर/ट्रांसपोर्टर हों तो उनका नाम व पता	
3	परिवहनकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
4.	परिवहनकर्ता/फर्म/कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म/कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी संलग्न करना अनिवार्य है।	
5.	परिवहनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।	
6.	परिवहनकर्ता के पास वर्तमान में उपलब्ध वाहन का प्रकार/संख्या/नया वाहन खरीदने के स्थिति में तदाशय का शपथ-पत्र 100 रु. स्टाम्प पेपर पर संलग्न करें।	
7	परिवहनकर्ता के पास F.S.S.A.I (खाद्य लायसेंस) का होना आवश्यक है।	

नोट :-

- 1) परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य है अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा।
- 2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ई-निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम :- \_\_\_\_\_  
स्थायी पता :- \_\_\_\_\_  
टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_  
मोबईल नं \_\_\_\_\_  
ई-मेल नं. \_\_\_\_\_  
फैक्स नं. \_\_\_\_\_

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवश्यक शर्तें :

1. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
2. दुग्ध संघ द्वारा झाबुआ संयंत्र से सम्बद्ध विपणन मार्ग हेतु निविदा जारी की गई है, जिसकी ईएमडी राशि रु. 10,000/- निर्धारित है।
3. निविदाकार के पास स्वयं के नाम का इंसयुलेटेड वाहन (तापरोधी) होना आवश्यक है यदि आवेदनकर्ता नया वाहन क्रय करना चाहता है तो रु 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें। इंसयुलेटेड (तापरोधी) वाहन मॉडल वर्ष 2016 अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है।
6. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी।
7. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी. राशि) राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही संबंधित विपणन मार्ग की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
8. भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
9. विपणन मार्गों पर प्रदाय की जाने वाली भरी क्रेटों एवं वापसी खाली क्रेटों व लिकेज की संपूर्ण जावबदारी निविदाकार का रहेगी।
10. झाबुआ दुग्ध संयंत्र से संबंधित विपणन परिवहन मार्गों पर वास्तविक संचालन व्यय से कम दरें प्राप्त होने पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें/ई-निविदा निरस्त की जावेगी।
11. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध राशि रु. 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प निष्पादित करना होगा।
12. किसी भी विपणन मार्ग की ई-निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
13. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गों में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा भविष्य में अनुबंधित मार्गों पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
14. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में राशि रु. 20,000/- (अक्षरी रु. बीस हजार मात्र)। प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा RTGS अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता को कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक-एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

16. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।
17. निविदाकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकर्ता इन्दौर दुग्ध संघ के मा. अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी सदस्य/इन्दौर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नहीं है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/इन्दौर दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत इंसूलेटेड (तापरोधी) वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय-समय पर वाहनों का इंसूलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंसूलेशन नहीं पाया जाता है तो परिवहनकर्ता का आवेदन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेक लिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।
19. निविदाकर्ता को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकर्ता से प्रमाणित कराकर आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकर्ता की आवेदन जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा उनकी आवेदन मान्य नहीं की जावेगी।
20. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहते हैं तो 3 माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा हेतु समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 20 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमती देता हूँ।

हस्ताक्षर


आवेदक का नाम एवं पता

विपणन मार्ग की जानकारी

1. झाबुआ दुग्ध संयंत्र से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :-

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा भरी जाने वाली दर	रिमार्क
1	दुग्ध संयंत्र झाबुआ डाक से शहर झाबुआ विपणन मार्ग क्रमांक 01	60 KM	250	3000	प्रति लीटर के आधार पर ही दरें प्रस्तुत की जावे।	तापरोधी वाहन

❖ साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता का संक्षिप्त परिचय एवं विवरण



1. निविदाकर्ता का नाम ■ \_\_\_\_\_
2. पिता/पति का नाम ■ \_\_\_\_\_
3. जाति ■ \_\_\_\_\_
4. स्थाई पता ■ \_\_\_\_\_  
(प्रमाण सहित) ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_
5. वर्तमान व्यवसाय का पता ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_  
(अ) दूरभाष नं. ■ .....  
(ब) मोबाईल नं. ■ .....
6. शैक्षणिक योग्यता ■ \_\_\_\_\_
7. निविदा/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_  
■ \_\_\_\_\_
8. वर्तमान व्यवसाय ■ \_\_\_\_\_
9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ■ \_\_\_\_\_

10. वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ■ \_\_\_\_\_

(अ) चल-अचल सम्पति का  
ब्योरा। \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में  
जमा राशि। \_\_\_\_\_

11. धरोहर राशि। ■ रु. \_\_\_\_\_

दिनांक - .....

आवेदक के हस्ताक्षर

पुरा नाम .....



फाइनेंशियल बिड (प्रारूप)

आवेदन में सम्मिलित विपणन मार्ग हेतु समस्त करों-व्ययों/टोल टैक्स सहित दरें प्रस्तुत करें।

1. झाबुआ दुग्ध संयंत्र से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :-

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा भरी जाने वाली दर	रिमार्क
1	दुग्ध संयंत्र झाबुआ डाक से शहर झाबुआ विपणन मार्ग क्रमांक 01	60 KM	250	3000	प्रति लीटर के आधार पर ही दरें प्रस्तुत की जावे।	तापरोधी वाहन

नोट :-

1. उपरोक्त विपणन मार्गों हेतु परिवहन दरें केवल प्रति लीटर में तापरोधी वाहन हेतु आनलाईन ही प्रस्तुत की जावे, अन्य आधार पर दरें प्राप्त होने की दशा में ई-निविदा निरस्त की जावेगी।
2. परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

हस्ताक्षर/सील  
हैसियत